

बारां केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०, बारां

प्रधान कार्यालय

उच्च तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा हेतु “ज्ञान सागर ऋण योजना”

1. उद्देश्य :-

यह योजना प्रदेश के ग्रामीण व शहरी छात्र- छात्राओं को व्यावसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने पर अभिभावक को अथवा स्वयं को वित्तीय सुविधा उपलब्ध करवाने व उच्च शिक्षा प्राप्त करने में उनकी सहायता करने के उद्देश्य से बनाई गई है जिससे वे आर्थिक अभाव के कारण तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा से वंचित न रहे तथा अपनी प्रतिभा के अनुरूप शिक्षा प्राप्त कर अपने भविष्य को उज्ज्वल बना सकें। इसके साथ ही वितनभोगी/पेशेवर व्यवसायी (प्रोफेशनल्स) भी उच्च शिक्षा हेतु इस योजनान्तर्गत ऋण प्राप्त कर सकेंगे।

योजनान्तर्गत तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों जैसे इन्जिनियरिंग, आईटीआई, पोलिटेक्निक डिप्लोमा, मेडिकल, डेन्टल, बी०बी०ए०, एम०बी०ए०, बी०सी०ए०, एम०सी०ए०, सी०ए०, एफ०सी०ए०, होटल मैनेजमेन्ट, कम्प्यूटर, ई-कार्मस तथा अन्य हाईटेक आदि पाठ्यक्रमों में डिग्री/डिप्लोमा प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार/भारत सरकार के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं से शिक्षा प्राप्त करने हेतु ही ऋण प्रदान किया जावेगा।

यदि कोई अभ्यर्थी विदेश में भी किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था से तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो वह भी इस योजना का लाभ उठा सकेगा। इस ऋण के अन्तर्गत ट्यूशन फीस, होस्टल फीस, किताबें, उपकरण, ड्रेस, मैस चार्जेज आदि हेतु तथा विदेश में शिक्षा प्राप्त करने पर यात्रा व्यय हेतु भी निर्धारित मद में व्यय होने वाली धनराशि (कोस्ट ऑफ स्टडी) मानी जावेगी तथा कोस्ट ऑफ स्टडी के आधार पर ऋण की धनराशि का निर्धारण किया जावेगा।

2. ऋण हेतु पात्रता :-

- 2.1 इस योजनान्तर्गत उन्हीं छात्र- छात्राओं के लिये ऋण प्रदान किया जा सकेगा जो स्वयं तथा जिनके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं तथा बैंक के कार्य क्षेत्र के निवासी हैं। इसके लिये उन्हें पते का प्रमाण देना होगा।
- 2.2 छात्र-छात्रा की आयु 18 वर्ष से 30 वर्ष के मध्य होनी चाहिये तथा अभिभावक की अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष होगी।
- 2.3 इस योजनान्तर्गत स्वयं वेतनभोगी अथवा पेशेवर व्यवसायी (प्रोफेशनल्स) को भी ऋण दिया जा सकेगा। उस दशा में अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी। ऐसा ऋण स्वयं लाभार्थी द्वारा ही चुकाया जावेगा।
- 2.4 योजनान्तर्गत ऋण के उद्देश्य में वर्णित तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश या अध्ययनरत होने का प्रमाण- पत्र प्रस्तुत करने पर ही ऋण हेतु पात्र माना जावेगा अथवा जिन्होंने ऐसे पाठ्यक्रमों हेतु निर्धारित प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो एवं जिन्हें ऐसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु पात्र माना गया हो, उन्हें भी इस प्रतिबंध के अधीन ऋण का पात्र माना जावेगा एवं इस संबंध में संबंधित शिक्षण संस्थान का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 2.5 इस योजना में लाभ हेतु प्रस्तावित अभ्यर्थी के माता-पिता/विधि मान्य संरक्षक की तथा स्वयं द्वारा उच्च शिक्षा प्राप्त करने की दशा में स्वयं लाभार्थी ऋणी की आय इतनी पर्याप्त एवं निरन्तरता किस्म वाली होनी चाहिये कि वे ऋण चुकाने में समर्थ को सकें।
- 2.6 इस हेतु आय का प्रमाणन आयकर निर्धारण रिटर्नर्स, नियोक्ता से जारी आय प्रमाण- पत्र जिसमें कटौतियों का भी पूर्ण विवरण हो या इसी तरह के अन्य किसी दस्तावेजात से किया जा सकेगा। स्वयं के व्यवसाय वाले व्यक्ति, लघु व्यवसायी या कृषक जिनकी आय के बारे में कोई विशिष्ट दस्तावेज होना प्रचलन में नहीं है, वहाँ बैंक अन्य उपलब्ध स्रोतों से अभ्यर्थी के माता- पिता/ संरक्षक की आय की जानकारी कर सकेगा तथा इस बाबत निश्चित की गई आय के संबंध में पूरा विवरण स्वीकृत पत्रावली में रखा जावेगा।

3. ऋण की सीमा :-

- 3.1 अधिकतम ऋण सीमा अभिभावक तथा ऋणी की कुल औसत मासिक आय के 15 गुणे तक या कोस्ट ऑफ स्टडीज की 90 प्रतिशत जो भी कम हो, जिसकी अधिकतम सीमा भार में शिक्षा प्राप्त करने पर रुपये 6.00 लाख तथा विदेश में शिक्षा प्राप्त करने पर रुपये 10.00 लाख तक होगी।

- 3.2 मार्जिन मनी— इस प्रकार के ऋणों के लिये मार्जिन मनी 10 प्रतिशत निर्धारित की गई है। यदि अभिभावक द्वारा स्वयं के स्रोतों से कालेज/संस्थान में कोई राशि उपरोक्त वर्णित उद्देश्यों हेतु जमा कराई है तो उसे मार्जिन मनी राशि मानते हुये उसमें समायोजित किया जा सकेगा।
- 3.3 यह टर्म लोन होगा जिसकी राशि बैंक को कॉलेज/संस्थान द्वारा दिये गये एस्टीमेट (वास्तविक दस्तावेज) के आधार पर उच्चतम सीमा के अध्यधीन होगी। पुस्तकों, उपकरणों, ड्रेस, होस्टल मैस चार्ज के लिये एस्टीमेट संस्था द्वारा नहीं दिये जाने की दशा में ऋणी का घोषणा पत्र जिसमें सम्भावित व्यय का पूर्ण विवरण हो, स्वीकार्य होगा।
- 3.4 यदि अभिभावक द्वारा स्वयं के कोषों से उपरोक्त वर्णित उद्देश्यों के लिये राशि व्यय की गई है तो 2 माह के अन्दर अन्दर बैंक इस प्रकार के व्ययों के लिये पुनर्भरण करते हुये ऋण प्रदान कर सकता है।
- 3.5 यदि आवेदक द्वारा ऐसी अन्य संस्था से ऋण लिया हुआ है और वह उसे चुकाकर बैंक से ऋण लेना चाहे तो आवंटन की पात्रता एवं ऋण चुकाने की क्षमता को ध्यान में रखते हुये बैंक ऐसे आवेदन पर भी विचार कर सकता है।

4. ब्याज दर :-

इस ऋण हेतु मुद्रा बाजार के अनुसार ब्याज दर नियंत्रित होगी। वर्तमान में ब्याज दर निम्न रहेगी:-

- 4.1 रुपये 2.00 लाख तक के ऋण पर – 11.5 प्रतिशत वार्षिक एवं रुपये 2.00 लाख से अधिक के ऋण पर – 12.00 प्रतिशत वार्षिक। बैंक स्टाफ (स्टाफ वार्ड) हेतु उक्त दर 11.50 प्रतिशत वार्षिक होगी।
- 4.2 यदि योजनान्तर्गत ऋण छात्रा की शिक्षा हेतु लिया जाता है तो इस प्रकार के ऋण पर निर्धारित ब्याज दर में 0.50 प्रतिशत की छूट दी जावेगी।
- 4.3 ऋण राशि पर ब्याज की गणना मासिक आधार पर की जावेगी एवं ब्याज की गणना पूर्व में करक मूल व ब्याज की समान मासिक किश्त बनाकर निर्धारित कर दी जावेगी।
- 4.4 ऋणी को मासिक किश्त के चैक्स बैंक को प्रदान करने होंगे तथा ब्याज एवं ऋण की किश्त की वसूली हेतु पर्याप्त धनराशि अपने बचत खाते में रखनी होगी। पर्याप्त राशि के अभाव में ब्याज की वसूली ऋण खाते में जोड़ दी जावेगी।
- 4.5 प्रत्येक त्रैमास में ऋण खाते में ब्याज की राशि ऋण राशि में जोड़ी जावेगी अतएव ऋणी के लिये यह आवश्यक है कि वह यह पुनिश्चित करें कि प्रति माह उसके बचत खाते से राशि ऋण खाते में जमा हो रही है। अन्य दशा में ब्याज पर ब्याज का भार भी उसे वहन करना होगा।
- 4.6 किश्तों में चूक करने की दशा में ऋणी द्वारा अवधिपार राशि पर बैंक को 2 प्रतिशत दण्डनीय ब्याज देना होगा।

5. ऋण अग्रिम :-

- 5.1 सेमेस्टर/वर्ष के खर्चों, जिसकी विगत बैंक को उपलब्ध कराई जावेगी, के आधार पर अनुपातिक रूप से ऋण अग्रिम किया जावेगा।
- 5.2 छात्र-छात्राओं के लिये ऋण प्राप्त करने की दशा में ऋण अग्रिम से पूर्व अभिभावक से यह प्रमाण-पत्र लिया जावेगा किये जिसके अध्ययन हेतु ऋण लिया गया है/लिया जा रहा है, वह छात्र/छात्रा निरन्तर अध्ययनरत है। साथ ही अभिभावक द्वारा छात्र/छात्रा की पूर्व सेमेस्टर/वर्ष की अंक तालिका व अन्य प्रमाण भी प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत करने पर ही ऋण की आगामी किश्त जारी की जावेगी।

6. ऋण की अवधि व पुनर्भुगतान—

- 6.1 योजनान्तर्गत पाठ्यक्रम के लिये ऋण सेमेस्टर/वर्ष के आधार पर आनुपातिक रूप से अग्रिम किया जावेगा। वर्ष के लिये अग्रिम ऋण की वसूली (मूल व ब्याज) अधिकतम 60 समान किश्तों में की जावेगी।
- 6.2 ऋण अदायगी की अवधि पाठ्यक्रम की अवधि के अनुरूप निर्धारित की जावेगी। सेमेस्टर/वर्ष के आधार पर अग्रिम किये जाने वाले सम्पूर्ण ऋण का चुकारा प्रथम वितरित ऋण के 5 वर्ष के भीतर करना होगा। (अन्तिम वितरण के पचात् अथवा सेवा में नियुक्ति पर जो भी पहले हो)
- 6.3 अभिभावक को यदि विकल्प उपलब्ध होगा कि यदि वह चाहे तो कुल स्वीकृत राशि को 5 वर्ष की समान मासिक किश्तों में चुका सकेगा।
- 6.4 ऋण की प्रथम किश्त ऋण प्राप्त करने के एक वर्ष पश्चात् से प्रारम्भ हो जावेगी।
- 6.5 ऋणी किश्तों से अधिक राशि ऋण खाते में चुकाने के लिये स्वतंत्र होगा एवं इस पर किसी प्रकार का प्रभार वसूल नहीं किया जावेगा।

7. प्रतिभूति:-

- 7.1 ऋणी द्वारा 2 व्यक्ति जो कि बैंक को मान्य हो, की गारन्टी निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करनी होगी।
- 7.2 उपरोक्त के अतिरिक्त प्रत्येक ऋणी/अभिभावक को ऋण राशि के डेढ गुणा मूल्य वाली अचल सम्पत्ति यथा मकान, जमीन, खेतीहर जमीन, दुकानों आदि के कागजात इक्वीटेबल मॉर्गेज बंधक रखने होंगे। इसके अतिरिक्त चल सम्पत्ति में एलआईसी पालिसी, बाण्ड, एनएससी सर्टिफिकेट एवं मूल्यवान सोने के जेवर भी बंधक रखे जा सकते हैं। इनकी विधिक जाँच एवं मूल्यांकन बैंक के मान्यता प्राप्त वकील/मूल्यांकनकर्ता से ऋणी के खर्चे पर करवाया जावेगा।
- 7.3 बैंक यदि चाहे तो उपरोक्त रूप में तृतीय पक्षकार की सिक्यूरिटी भी प्राप्त कर सकेगा।
- 7.4 वैतनिक अभिभावकों द्वारा नियोक्ता की गारण्टी देने की स्थिति में ग्रेच्युटी एवं सेवानिवृति पर मिलने वाले परिलाभ की राशि को भी प्रतिभूति के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है।
- 7.5 स्टाफ हेतु बिन्दु संख्या 7.4 अनुसार प्रतिभूति स्वीकार्य होगी।

8. अन्य शर्त:-

- 8.1 अभिभावकों को यह घोषणा पत्र देना होगा कि उपर्युक्त उद्देश्य हेतु अन्य किसी भी वित्तीय संस्था से ऋण नहीं लिया गया है।
- 8.2 योजनान्तर्गत एक परिवार के अधिकतम दो छात्र/छात्राओं हेतु ऋण दिया जावेगा परन्तु किसी अभिभावक द्वारा पूर्व के दो ऋण शिक्षा के लिये, लिये गये हैं व उनका भुगतान संतोषजनक है तथा तीसरे ऋण की आवश्यकता यदि छात्रा के अध्ययन हेतु है तो ऐसे मामलों में तीसरा ऋण भी दिया जा सकेगा।
- 8.3 ऋण अभिभावक/संरक्षक के नाम से दिया जावेगा।
- 8.4 ऋण प्राप्त करने के लिये ऋणी छात्र एवं दोनो जमानतदारों को बैंक का नोमिनल सदस्य बनना होगा।
- 8.5 ऋणी द्वारा अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋणों का पूर्ण विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- 8.6 ऋण हेतु बैंक द्वारा निर्धारित आवेदन - पत्र/एग्रीमेन्ट/प्रोनोट आदि प्रपत्र भरकर देने होंगे।
- 8.7 ऋण स्वीकृत करने का अधिकार संचालक मण्डल, बैंक अथवा उनके द्वारा अधिकृत ऋण उप समिति/प्रबन्ध निदेशक में निहित होगा।
- 8.8 इन नियमों के अन्तर्गत ऋण की अर्हता संबंधी निर्णय पूर्णतः ऋण स्वीकृत करने वाले अधिकारी के विवेक पर निर्भर होगा जिस पर किसी को कोई आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा।

9. प्रक्रिया शुल्क:-

- 9.1 रुपये 1.00 लाख तक के ऋण पर 100/- रुपये एवं 1.00 लाख से अधिक के ऋण पर 100/- रुपये प्रति लाख या उसके किसी अंश के लिये प्रक्रिया शुल्क देय होगा। स्टाफ प्रक्रिया शुल्क से मुक्त रहेगा।

10. उपरोक्त नियमों में संशोधन एवं परिवर्तन करने का अधिकार बैंक के पास निहित होगा जो कि ऋण लेने वाले व्यक्ति को भी मान्य होगा।

सहमति पत्र

भाखा प्रबन्धक महोदय,
 बारां केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०,
 भाखा

विषय :- "ज्ञान सागर ऋण योजना" के अंतर्गत ऋण हेतु सहमति पत्र।

प्रिय महोदय,

आपके बैंक की "ज्ञान सागर ऋण योजना" के समस्त नियम व शर्तें भलीभांति पढ़ व समझ कर मैंने अपने पुत्र/पुत्री की उच्च शिक्षा हेतु ऋण के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। बैंक द्वारा इस योजनान्तर्गत भविष्य में जो परिवर्तन/परिवर्द्धन किये जावेंगे, वह मुझे मेरे पुत्र/पुत्री एवं जमानतदार को मान्य होंगे।

भवदीय,

(-----)

पता -----

भाखा प्रबन्धक महोदय,
 बारां केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०,
 भाखा

महोदय,

महाविद्यालय/तकनीकी/व्यवसायिक संस्थान में दाखिल कराने हेतु बैंक द्वारा स्वीकृत मध्यावधि ऋण की निर्धारित किश्त की कटौती कर आपकी शाखा में प्रेषण के सम्बन्ध में ।

1. हम प्रमाणित करते हैं कि श्री _____ पुत्र श्री _____ हमारे कार्यालय/संस्थान के स्थाई कर्मचारी है और _____ पद पर कार्यरत है। इनका मासिक कुल वेतन रुपये _____ है।
2. बैंक के स्वीकृति पत्र क्रमांक _____ दिनांक _____ जिसकी पृष्ठांकित प्रति इस अनुभाग को प्रेषित की गई है, जिसके अनुसार श्री _____ पद _____ के पक्ष में उसके पुत्र/पुत्री की उच्च शिक्षा हेतु ज्ञान सागर ऋण योजनान्तर्गत रुपये _____ का ऋण स्वीकृत किया गया है। अतः हम उसके अधिकार पत्र के आधार पर निम्नानुसार सहमति प्रदान करते हैं।
3. **अ.** हमारे उक्त कर्मचारी के वेतन एवं देयकों से रू० _____ की राशि काटकर माह _____से प्रत्येक माह आपकी शाखा में हमारे कर्मचारी के ऋण खाते में जमा करने हेतु आपकी बैंक को भिजवादी जावेगी।
- ब.** उक्त कर्मचारी की मृत्यु/सेवानिवृत्ति/त्याग पत्र या किसी अन्य कारण से सेवा अवरोध होने के कारण कर्मचारी की देय राशियों में से आपके बैंक की ब्याज सहित शेष ऋण की अदायगी हेतु राशि प्रेषित की जावेगी और यह भुगतान कर्मचारी को किये गये भुगतान के सदृश्य ही मान्य होगी ।
- स.** उक्त कर्मचारी द्वारा दिये गये अधिकार पत्र में अवरोध/समाप्ति का कोई आवेदन बिना आपके बैंक की स्वीकृति/सहमति से मान्य नहीं किया जावेगा।
4. हम सहमत हैं कि उक्त कर्मचारी के अन्यत्र स्थानान्तरण होने की दशा में हमारे द्वारा कर्मचारी के नवीन पदस्थी कार्यालय को कटौती हेतु सूचित किया जावेगा।

दिनांक : _____

स्थान : _____

अधिकृत अधिकारी के सील सहित हस्ताक्षर

वैयक्तिक अधिकार एवं घोषणा पत्र

स्थान :

भाखा प्रबन्धक महोदय,
 बारां केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०,
 भाखा

महोदय,

महाविद्यालय/तकनीकी/व्यावसायिक संस्थान में दाखिल कराने हेतु बैंक द्वारा स्वीकृत मध्यावधि ऋण के सम्बन्ध में वैयक्तिक अधिकार एवं घोषणा बाबत

मैं ----- पुत्र श्री ----- आपकी शाखा से अपने पुत्र/पुत्री को महाविद्यालय/तकनीकी/व्यावसायिक संस्थान में दाखिल कराने हेतु स्वीकृत मध्यावधि ऋण के सन्दर्भ में निवेदन करता/करती हूँ कि सम्बन्धित संस्थान से पूर्ण शिक्षा हेतु अनुमानित खर्च के सम्बन्ध में प्राप्त प्रमाण-पत्र के आधार पर संस्थान की राशि भुगतान करने का कष्ट करें ।

मैं वचन देता/देती हूँ कि मेरे द्वारा मेरे खाते जिसके अग्रिम चैक्स दिये गये हैं, में मासिक किस्त की राशि एवं ब्याज की वसूली के लिये पर्याप्त राशि रखी जावेगी । किसी भी मासिक किस्त एवं ब्याज की वसूली के भुगतान में चूक की दशा में समस्त ऋण एकमुश्त ब्याज सहित वसूल करने का अधिकार बैंक को रहेगा ।

मेरी मृत्यु, सेवानिवृत्ति, सेवा त्यागपत्र, पदच्युति अथवा मासिक किस्त चुकाने में चूक के कारण बैंक को पूर्ण अधिकार होगा कि बैंक के किसी रूप में निहित मेरे हित/रकम, बिना मुझे अथवा मेरे उत्तराधिकारी/प्रतिनिधि को सूचित किये बगैर जब्त कर लें। साथ ही मेरे कार्यालय में मुझे भुगतान योग्य राशियों में प्रथम वरीयता के आधार पर वसूली प्राप्त करने का अधिकार भी मैं बैंक को देता/देती हूँ ।

गवाह के हस्ताक्षर -----

ऋणी के हस्ताक्षर -----

गवाह का नाम -----

ऋणी का नाम -----

पता -----

पता -----

वैयक्तिक अधिकार एवं घोषणा पत्र

स्थान :

भाखा प्रबन्धक महोदय,
 बारां केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०,
 भाखा

महाविद्यालय/तकनीकी/व्यावसायिक संस्थान में दाखिल कराने हेतु बैंक द्वारा स्वीकृत मध्यावधि ऋण के सम्बन्ध में वैयक्तिक अधिकार एवं घोषणा बाबत ।

मैं स्वयं ----- पुत्र श्री -----
 आपकी शाखा से महाविद्यालय/तकनीकी/व्यावसायिक संस्थान में दाखिले हेतु स्वीकृत मध्यावधि ऋण के सन्दर्भ में निवेदन करता/करती हूँ कि सम्बन्धित संस्थान से पूर्ण शिक्षा हेतु अनुमानित खर्च के सम्बन्ध में प्राप्त प्रमाण-पत्र के आधार पर संस्थान की राशि भुगतान करने का कष्ट करें ।

मैं वचन देता/देती हूँ कि मेरे द्वारा मेरे खाते जिसके अग्रिम चैक्स दिये गये हैं, में मासिक किस्त की राशि एवं ब्याज की वसूली के लिये पर्याप्त राशि रखी जावेगी । किसी भी मासिक किस्त एवं ब्याज की वसूली के भुगतान में चूक की दशा में समस्त ऋण एकमुश्त ब्याज सहित वसूल करने का अधिकार बैंक को रहेगा ।

मेरी मृत्यु, सेवानिवृत्ति, सेवा त्यागपत्र, पदच्युति अथवा मासिक किस्त चुकाने में चूक के कारण बैंक को पूर्ण अधिकार होगा कि बैंक के किसी रूप में निहित मेरे हित/रकम, बिना मुझे अथवा मेरे उत्तराधिकारी/प्रतिनिधि को सूचित किये बगैर जब्त कर लें साथ ही मेरे कार्यालय में मुझे भुगतान योग्य राशियों में प्रथम वरीयता के आधार पर वसूली प्राप्त करने का अधिकार भी मैं बैंक को देता/देती हूँ ।

गवाह के हस्ताक्षर -----

ऋणी के हस्ताक्षर -----

गवाह का नाम -----

ऋणी का नाम -----

पता -----

पता -----

DEMAND PROMISSORY NOTE

Rs. _____

On Demand I/We _____ S/o Shri _____ jointly and severally promise to pay Baran Kendriya Sahakari Bank Ltd., _____ or order the sum of Rs. _____ (Rupees _____) together with interest at the rate of per cent per annum with monthly rests for value received.

PLACE: _____ Borrower(s)' _____ signature

DATE: _____ Name

_____ Address _____ :

1. Signature

_____ Name

_____ Address _____ :

TIME PROMISSORY NOTE

I, _____ S/o /W/o Shri _____ promise to pay a sum of Rs. _____ (Rupees _____) only to Baran Kendriya Sahakari Bank Ltd., Branch _____ or order towards loans/credit limit/credit card sanctioned to me, in _____ equal monthly installments of Rs. _____. The first installment shall be repayable on _____ and the last installment on _____.

PLACE:

DATE:

(_____)

Revenue Stamp

10. ।दल वजीमत चतवउपेवतल छवजम वत छवजमे जीज उंल ीमतमंजित इम हपअमद इल उमध्ने पद तमदमूस वते नइजपजनजपवद वित जीम ेपक चतवउपेवतल छवजम वत ेदल तमदमूस जीमतमवॉिसस इमीमसक इल लवन नचवद ेदक ेनइरमबज जव जीम ेउम जमतउे ेदक बवदकपजपवदे े तमीमतमपद मगचतमेमक ेदक बवदजंपदमक ेपूजी तममितमदबम जव जीम ेपक चतवउपेवतल छवजम
11. ।दल कपअपकमदके वत चंतजपस चंलउमदजे तमबमपअमक इल लवन तिवउ ेदलेवनतबम पद तमेचमबज व ेदल पदकमइजमकदमे वत संपंइपसपजल ीमतमइल हनंतंदजममक उंल इम जतमंजमक े चंलउमदजे पद हतवे ेदक लवन उंल उंतींसस ेचसल ेदक चचतवचतपंजम ेसस ेमबनतपजपमे वत निदके लवन उंल ेज ेदल जपउम ीम पद तमेचमबज व ेनबी पदकमइजमकदमे वत संपंइपसपजल े लवन जीपदा पिजे वे े जव बवदमित वद लवन जीम उवेज इमदमपिज
12. ।दल ेबववनदजे मजजसमक वत ेजंजमक इमजूममद लवन ेदक े जीम ेवततवूमत वत ेकउपजजमक इल जीम ेवततवूमत ींसस इम ेबमचजमक इल उमध्ने े बवदबसनेपअम मअपकमदबम ेदक लवनत सवबंस ।हमदजे बमतजपपिबंजम पद ेपजपदह ेजंजपदह जीम ेवनदज ेज ेदल चंतजपबनसंत जपउम चंलंइसम नदकमत जीपे ेनंतंदजमम ींसस इम बवदबसनेपअम मअपकमदबम हंपदेज उमध्ने
13. ।दल दवजपबम विकमउंदक वत वजीमतूपेमे ीमतमनदकमत ींसस इम ेनापिबपमदजसल हपअमद पिकमसपअमतमक इल ीदक वत समजि ेज वत ेमदज इल तमहपेजमतमक चवेज जव उलध्वनत सेंज ।दवूद ककतमे ेदक पिमदज इल तमहपेजमतमक चवेज ींसस इम ेनउमक जव ीम इममद कमसपअमतमक पद जीम नेनंस बवनतेम विकवेज
14. ेद जीम ेबेमे व े जीम ेवततवूमत इमपदह े बवउचंदल वत बवतचवतंजपवद लवन ींसस दवज इम इवनदक जव मनुनपतमे पद जव जीम चवूमते व े जीम ेवततवूमत वत ेदल वपिबमते वत हमदजे ेबजपदह वत चनतचवतंजपदह जव ेबज वद ेइमीसि व े जीम ेवततवूमत ेदक उवदमल पद बिज ेवततवूमक े तिवउ लवन ींसस इम े कममउमक े जव तिवउ चंतज व े जीम ेवदमले ीमतमइल हनंतंदजममक दवज ेपजीजंदकपदह ेदल ेइमदबम व े वित कमपिबपमदबल वत मगबमे वत पततमहनसंतपजल पद जीम मगमतबपेमे व ेदल चवूमतनिस जीम ेवततवूमत वत ेनबी वपिबमते वत हमदजे ेवितमेपक ेदक पद जीम ेबेमे व े जीम ेवततवूमत इमपदह े पितउ उलध्वनत हनंतंदजमम ेदक वइसपहंजपवदे ीमतमनदकमत ींसस दवज ेमिबजमक इल ेदल बीदहम पद जीम ेबवदेजपजनजपवद े व े ेनबी ेपितउ इल जीम े कंमंजी वत तमजपतमउमदज व ेदल उमउइमत वत उमउइमते वत जीम ेपदजतवकनबजपवद व ेदल दमू उमउइमत वत उमउइमते वत वजीमतूपेमे वत ेदल बीदहम पद जीम ेजलसम वत जपजसमे व ेनबी पितउ ेदक ीमजीमत ेनबी पितउ बवदेपेज व े वित इम त्मकनबमक जव वदम उमउइमत ेज ेदल जपउम
15. ेद जीम ेबेमे व े वनत इमपदह उवतम जीद वदम पदकपअपकनंस ेसस ींसस इम े इवनदक ीमतमइल रवपदजसल ेदक ेमअमतंससल ेदक इमपदह े पितउ वत उमउइमते व े पितउ ेनबी पितउ वत ेसस उमउइमते तिवउ जपउम जव जपउम जीमतमवॉिसस इम इवनदक ीमतमइल रवपदजसल ेदक ेमअमतंससल दवजूपजीजंदकपदह ेदल बीदहम पद जीम ेबवदेजपजनजपवद व ेनबी पितउ इल जीम कंमंजी वत तमजपतमउमदज व ेदल उमउइमत वत उमउइमते वत जीम ेपदजतवकनबजपवद व ेदल दमू उमउइमत वत वजीमतूपेमे वत ेदल बीदहम पद जीम ेजलसम वत जपजसमे व ेनबी पितउ बवदेपेजे व े वित इम त्मकनबमक जव वदम उमउइमत ेज ेदल जपउम ेदक पद जीम ेबेमे व े वनत इमपदह उवतम जीद वदम पदकपअपकनंस ीमजीमत नदबवददमबजमक वत बवददमबजमक पद चंतजदमतौपचद्ध ेज ेदल जपउम ेदल दवजपबम विकमउंदक वत वजीमतूपेमे ीमतमनदकमत ेमतअमक वद ेदलवदम व ेनबी पदकपअपकनंस ींसस इम कममउमक जव इम ेमतअपबम व ेनबी दवजपबम वद ेसस ेनबी पदकपअपकनंस ेदक ेदल तमसमेंम वत हतंदजपदह व ेजपउम वत वजीमत पदकनसहमदबम जव ेदलवदम वत उवतम व ेनबी पदकपअपकनंस ींसस दवज पद ेदल उंददमत कपेबीतहम वत ेमिबज जीपे ेनंतंदजमम े जव जीम वजीमत वत वजीमते व े जीमउ

ेपहदंजनतमे,द्ध व े जीम ेनंतंदजवते,द्ध

छंउम

।ककतमे

.....

ेपजदमेरू

1.

2.

उच्च शिक्षा हेतु ऋण आवेदन –पत्र

vkosnd dk
QksVks

vkosnd dk
QksVks

शाखा प्रबंधक

बारां केन्द्रीय सहकारी बैंक लि.,

शाखा

महोदय,

हम आपकी शाखा से महाविद्यालय/तकनीकी/व्यावसायिक संस्थान से उच्च शिक्षा हेतु रूपये (अक्षरे रूपये) मात्र का मध्यावधि ऋण की स्वीकृति हेतु आवेदन करते हैं। विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:—

1	आवेदक के सम्बन्ध में विवरण :	
अ.	पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	
ब.	पिता/पति का नाम	
स.	उम्र	
द.	स्थायी पता	
य.	पत्र व्यवहार हेतु वर्तमान पता (टेलीफोन नं. सहित, यदि कोई हो)	
2	छात्र/छात्रा का विवरण	
अ.	पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	
ब.	जन्म तिथि	
स.	भौक्षणिक योग्यता	
द.	प्रस्तावित पाठ्यक्रम का नाम	
य.	संस्था/वि विद्यालय का नाम	
र.	पाठ्यक्रम की अवधि	
ल.	पाठ्यक्रम शुरू होने की तिथि	
3	नौकरी का विवरण (वैतनिक आवेदकों हेतु)	
अ.	नियोक्ता का नाम एवं पता	
ब.	पद	
स.	सेवानिवृत्ति की तिथि	
द.	नियोक्ता की गारन्टी बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप में	
4	व्यवसाय का विवरण (अवैतनिक आवेदकों हेतु)	
अ.	व्यवसाय का नाम एवं पता	
ब.	स्थापना वर्ष	
स.	स्वामित्व एकल/साझेदारी/अन्य	
द.	वार्षिक टर्न ओवर	
य.	विक्रय कर/आयकर नम्बर	
र.	व्यवसाय में नियुक्त कर्मचारियों की संख्या	
5	वार्षिक आय का विवरण	
अ.	वेतन/व्यवसाय से प्रतिमाह कुल आय (वैतनिक आवेदकों द्वारा नियोक्ता से प्रमाणित प्रमाण-पत्र संलग्न किया जावे)	
ब.	विभिन्न कटौतियों के पश्चात् वेतन/व्यवसाय से प्रतिमाह शुद्ध आय	

र.	वार्षिक आय	
ल.	यदि आयकर पेयर है तो गत वर्ष की कुल आय के अनुसार स्रोत पर आयकर की कटौति (रिटर्न की प्रति संलग्न करें)	
जमानतदार संख्या – 2		
अ.	जमानतदार का नाम	
ब.	पिता/पति का नाम	
स.	कार्यालय/संस्था का नाम एवं पता जहां पर जमानतदार कार्यरत है	
द.	धारित पद	
य.	वर्तमान पता	
र.	वार्षिक आय	
ल.	यदि आयकर पेयर है तो गत वर्ष की कुल आय के अनुसार स्रोत पर आयकर की कटौति (रिटर्न की प्रति संलग्न करें)	

हम ऋण राशि एवं उस पर देय ब्याज जिसकी गणना वर्तमान बैंक नियमों के अनुसार त्रैमासिक आधार पर की जाकर मूल ऋण में ही जोड़ दी जावेगी, के चुकारे के लिये बैंक द्वारा निर्धारित मासिक किश्त के भुगतान हेतु सहमत है।

यदि बैंक द्वारा भविष्य में इस योजना की विभिन्न शर्तें यथा ब्याजदर, ब्याज दर गणना विधि, ऋण पुनर्भुगतान तिथि आदि में कोई परिवर्तन/परिवर्द्धन किया जाता है तो वह हमें मान्य होगा तथा हमारी पूर्व सहमति आवश्यक नहीं होगी।

ऋण स्वीकृति उपरांत पूर्ति किये जाने वाले समस्त प्रपत्रों एवं दस्तावेजों पर होने वाला समस्त व्यय के चुकारे हेतु मैं स्वयं व मेरे जमानतदार बाध्य होंगे।

हमारे द्वारा उक्त ऋण के संबंध में बैंक द्वारा निर्धारित समस्त नियम एवं शर्तें पढ तथा समझ ली गई हैं एवं वे हमें मान्य हैं। हम घोषणा करते हैं कि हमारे द्वारा उपरोक्त दी गई जानकारी सत्य है। कृपया हमें उपरोक्तानुसार शिक्षा ऋण की राशि रुपयेरुपये मात्र स्वीकृत करने का कष्ट करें।

जमानतदार के हस्ताक्षर

आवेदक के हस्ताक्षर

1.

नाम:

पता

2.

नाम:

पता

छात्र छात्रा या डॉक्टरेट छात्र

जवाब

जीम डंडहपदह कपतमबजवतए
 ठंतद ज़मदकतपलौंतिप ठंदा स्जकणए
 ठंतद ;त्तंद्ध

नैतरु छात्र छात्रा या डॉक्टरेट छात्र, ठंक्त्त - ब. क्कत्त. छात्र

पता

पूँदज जव अंपसं जमतउ स्वंदध्वतमकपज स्पउपजध बतमकपज बंत्क नदकमत तिवउ लवनत इंदाण लवन तंम तमुनमेजमक जव
 चसमेंम मदतवसेस उमं देवउपदंस उमउइमतण

पूँउ कमचवेपजपदह त्प10६ ;त्नचमम जमदद्ध वदसलं उमउइमतौपच मिम दंक् त्प1000६ पिगमक कमचवेपजण पीअम तमंक् जीम
 तनसमे दंक् तमहनसंजपवदे वीजीम इंदा दंक् जीम उमंसेस इम इपदकपदह वद उमण

चसंबमरु

लवनते पिजीनिससलए

कंजमरु

पहदंजनतम

छंउम

ककतमे

5. जन्म तिथि :
6. नामिति का नाम :
7. नामिति से ऋणी का संबंध :
8. नामिति यदि अल्पव्यस्क है :
तो जन्म तिथि

दिनांक:

हस्ताक्षर ऋणी

उच्च शिक्षा ऋण देने हेतु प्राथमिक स्तर पर प्राप्त किये जाने वाले दस्तावेजों की चेक लिस्ट

1. गैर वेतन भोगी आवेदक की गत 3 वर्ष की आयकर विवरणी दाखिल करने/एसेसमेंट आदेश की प्रति।
2. वेतन भोगी आवेदक की गत 3 माह के वेतन एवं कटौतियों का नियोक्ता द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
3. आवेदक/सह आवेदक का निवास का प्रमाण-पत्र (मतदाता पहचान पत्र/ड्राईविंग लाइसेंस/पासपोर्ट/आयकर विभाग द्वारा जारी स्थाई लेखा संख्या की प्रति अथवा बिजली/पानी के बिल की प्रति।
4. आयु का प्रमाण पत्र।
5. अंतिम शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी सनद्/अंक तालिका की प्रति।
6. महाविद्यालय/तकनीकी/व्यावसायिक संस्थान में उच्च शिक्षा के लिये दाखिले हेतु चयन का प्रमाण।
7. सम्बन्धित संस्थान से अनुमानित खर्च का शिड्यूल

8. वेतनभोगी आवेदक के मामले में नियोक्ता की गारंटी जारी करने हेतु नियोक्ता द्वारा प्रदत्त गारंटी पत्र।
9. किताबें व शिक्षा से सम्बन्धित होने वाले अन्य खर्चों के सम्बन्ध में आवेदक/सह आवेदक से घोषणा पत्र।
10. ईसीएस मंडेट फॉर्म – तीन प्रतियों में